आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई मे टिप्पणी तारीख के साथ

11/12/2014

सारण समाहरणालय, छपरा।

न्यायालय जिला दंडाधिकारी, सारण, छपरा
जिला विधि प्रशाखा
आपूर्ति अपील संख्या 24/11
जगजीवन राम बनाम बिहार सरकार (अनुमंडल पदाधिकारी, मढ़ौरा) एवं अन्य
आदेश

संदर्भित अपील आवेदन अनुमंडल पदाधिकारी, मढ़ौरा के आदेश ज्ञापांक 223 दिनांक 13.1.11 के विरूद्ध दायर किया गया है। दायर अपील वाद की सुनवाई की गयी।

वाद का संक्षिप्त इतिहास यह है कि दिनांक 16.11.10 को अनुमंडल स्तरीय गठित जॉच दल (अंचलाधिकारी, तरैया एवं अंचलाधिकारी, इसुआपुर) के द्वारा जगजीवन राम, जविप्रवि, अनुज्ञप्ति सं0 37/07, ग्राम–मुड़वा, पंचायत–मुहम्मदपुर, थाना+प्रखंड–पानापुर की दूकान की जॉच की गयी। जॉच के कम में पायी गयी अनियमितता इस प्रकार है:

1. निरीक्षण के समय वितरण अवधि में दूकान बंद पायी गयी एवं विक्रेता दूकान से अनुपस्थित थे।
2. दूकान से संबंधित सूचनापट्ट एवं मूल्य तालिका प्रदर्शन पट्ट पर समुचित रूप से संधारित नहीं था।
3. विक्रेता की अनुपस्थिति के कारण स्टॉक पंजी/वितरण पंजी इत्यादि की जॉच नहीं की जा सकी तथा मॉगने पर भी विक्रेता के घर के अन्य सदस्यों के द्वारा उपरोक्त कागजात जॉच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया।
4. विक्रेता के घर के अन्य सदस्यों के द्वारा भंडार के निरीक्षण हेतु भंडार खोलकर नहीं दिखाया गया, इससे प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि विक्रेता के द्वारा सरकार के द्वारा अनुदानित सामग्री का उपभोक्ताओं के बीच वितरण न कराकर उसकी कालाबाजारी कर दी जाती है।

उक्त अनियमितताओं के लिए अनुमंडल पदाधिकारी, मढ़ौरा के ज्ञापांक 3366 दिनांक 4.12.10 के द्वारा विक्रेता से स्पष्टीकरण पूछा गया। विक्रेता के द्वारा अपना जवाब प्रस्तुत किया गया, लेकिन विक्रेता के द्वारा प्रस्तुत जवाब को असंतोषजनक पाते हुए अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा उसे अस्वीकृत कर दिया गया तथा उनकी अनुज्ञप्ति को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया।

अनुज्ञप्ति रद्द करने संबंधी प्रश्नगत आदेश को चुनौती देते हुए उपस्थित अपीलकर्त्ता के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा बतलाया गया कि विक्रेता के द्वारा नियमित रूप से

ससमय अपनी दूकान को खोला जाता है तथा वितरण के पश्चात् बंद किया जाता है। जॉच की तिथि को सुबह 9.00 बजे अचानक उनके सीना में दर्द शुरू हुआ और वे अपना ईलाज कराने धर्मासती बाजार पर डॉ0 के यहाँ ईलाज कराने चले गए, इस कारण से जॉच के कम में दूकान बंद पायी गयी। विकेता के द्वारा जानबूझकर जॉच दल के जॉच में असहयोग नहीं किया गया है। उनके द्वारा नियमित रूप से सूचनापट्ट पर सभी आवश्यक सूचनाएँ अंकित की जाती है। संभव है कि किसी शराती बच्चे के द्वारा उसे मिटा दिया गया हो, जिस वजह से जॉच दल उसे न देख सके हों। विकेता के पास चाबी रहने के कारण उनके परिवार के सदस्यों के द्वारा न तो दूकान खोलकर दिखाया जा सका और न ही कोई कागजात ही दिखाया गया। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा विकेता की रद्द अनुज्ञप्ति को पुनर्जीवित करने का अनुरोध किया गया।

सरकार का पक्ष रखतें हुए विज्ञ विशेष लोक अभियोजक के द्वारा बतलाया गया कि विकेता पर जो आरोप लगाया गया है, वह अनुज्ञप्ति की शर्त्तों, विभागीय दिशा–निर्देशों के उल्लंघन का परिचायक है।

उभय पक्षों को सुनने तथा अभिलेख के परिसीलन से पांया गया कि अनुमंडल पदाधिकारी, मढ़ौरा के द्वारा Speaking order पारित नहीं किया गया है। यह उचित होता कि विकेता को उनकी दुकान से संबंधित पंजी एवं अन्य कागजात के साथ बुलाकर उनकी सुनवाई की जाती और यदि उनके कागजातों के संधारण में कोई अनियमितता पायी जाती, तो आवश्यक कार्रवाई की जाती, किन्तु उनके द्वारा ऐसा नहीं कर जल्दबाजी में आदेश पारित किया गया है, जो उचित नहीं है। ऐसे में इस मामले को पुनः जॉचोपरान्त वाद की सुनवाई कर मुखर आदेश पारित करने हेतु रिमांड किया जाता है।

वाद निष्पादित।

लेखापित एवं संशोधित

जिला दंडाधिकारी,
सारण, छपरा

जिला दंडाधिकारी,
सारण, छपरा

ज्ञापांक 1057 दिनांक 15/12/14

प्रतिलिपिः–अनुमंडल पदाधिकारी,मढौरा को निम्न न्यायालय का अभिलेख मूल में संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, एन0आई0सी0,सारण,छपरा को इस जिले के वेवसाइट पर उक्त आदेश को निदेशानुसार अपलोड करने हेतु प्रेषित।

वरीय उप समाहर्ता
जिला विधि शाखा,सारण,छपरा।
15/12/14